Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ...बयाना...

मामल आदि ....बनाम ....इमरत बगै0...................................

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं. 96/24 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
30.05.24	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2, 3 में वर्णित आराजी वाके ग्राम हरनगर तहसील बयाना स्थित है में वादीगण/प्रार्थीगण को उनके हिस्से की आराजी के उपयोग/उपभोग में कोई बाधा नहीं करे। प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल नहीं करें। रहन, व्यय मुन्तकिल नहीं करें। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी की जावे। साथ ही प्राईमा फेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः उभयपक्षकारान के विरूद्व अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 28.06.2024 तक इस आशय की जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2, 3 में वर्णित आराजी वाके ग्राम हरनगर तहसील बयाना के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) 28/6/24 Ch. अनुपस्थित है पीठासीन अधिकारी .... है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/10/24 को पेश हो (हस्ताक्षर) एस.डी.एम.	

7 56

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दिनांक [illegible] द्वारा वादी/प्रार्थी द्वारा [illegible] हेतु [illegible] प्रार्थीगण की [illegible] में [illegible] पेश किया। [illegible] प्रार्थी [illegible] प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र दिनांक 28/3/25 को पेश किया गया। [illegible] प्रार्थी [illegible] द्वारा अपनी [illegible] के [illegible] आदेश [illegible] पेश प्रस्तुत [illegible] ART 2024 (1) [illegible] प्रार्थनापत्र के साथ [illegible] प्रार्थनापत्र प्रार्थी [illegible] नहीं [illegible] आदेश 39 नियम 1, आदेश 9 नियम 5 व [illegible] CPC दिनांक 28/3/25 [illegible] किया गया [illegible] प्रार्थीगण [illegible] हेतु दिनांक 6/8/25 को पेश [illegible]
6/8/25	[illegible] 10/25 [illegible] / [illegible] प्रार्थी [illegible] आदेश 22 नियम 3 CPC [illegible]
27/10/25	प्रकरण आज पेश हुआ। [illegible] प्रार्थीगण [illegible] द्वारा जाहिर किया गया [illegible] कि प्रार्थीगण प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। [illegible] प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण Not Press किया गया। अतः प्रकरण [illegible] प्रार्थीगण के Not Press किये जाने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर जेरम से बाद तमील दाखिल दफ्तर हो।	